कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/एफ–501/निःशु/पापु/2019–20/513 दिनांक – 28/01/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)।

अति–आवश्यक

विषय :– निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2019–20 से कक्षा 09 से 12 के ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल केन्द्र निर्धारण करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत कक्षा 01 से 08 की भांति, शैक्षिक सत्र 2019–20 से कक्षा 09 से 12 के ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल केन्द्र निर्धारण करने की स्वीकृति प्रदान की है। **उक्त क्रम में ग्राम पंचायत पर समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।**

शैक्षिक सत्र 2019–.20 ग्राम पंचायत नोडल विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के व्यवस्थित वितरण के लिए अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए –

- शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए आप द्वारा ब्लॉक नोडल विद्यालयवार प्रेषित की गई है। इस मांग को ग्राम पंचायत नोडल के अनुसार कक्षा एवं विषयवार विभाजित किया जाए। विभाजन करते समय ब्लॉक नोडल विद्यालयों पर अवस्थित अधिशेष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए।
- ग्राम पंचायत नोडल के लिए विभाजित कक्षा एवं विषयवार मांग का योग आप द्वारा पूर्व में इस कार्यालय को प्रेषित ब्लॉक नोडल के लिए कक्षा एवं विषयवार मांग से अधिक नहीं हो।
- जिला मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों का नोडल विद्यालय पूर्ववत ही रहेगा।
- किसी भी स्थिति में विद्यालयों से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग पुनः प्राप्त नही की जाए।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना समयबद्ध कार्यक्रम है इसलिए समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि समय पर प्रत्येक ग्राम पंचायत नोडल पर मांग के अनुरूप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सके।
- उक्त समस्त कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) उक्त समस्त प्रक्रिया का प्रबोधन कर ग्राम पंचायत नोडल, कक्षा एवं विषयवार समेकित मांग राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के जिला वितरण केन्द्र को दिनांक 11 फरवरी 2019 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं एवं प्रतिलिपि जरिए ईमेल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न – उपरा (11 पृष्ठ)

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शासन के पत्र (संलग्न) की पालना में शैक्षिक सत्र 2019–20 से कक्षा 09 से 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम पंचायत नोडल पर किया जाए।
2. निजी सचिव, उपायुक्त(द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान को प्रदत्त्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर